चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0 150
दिनांक : 1/2/2023

विज्ञप्ति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P-2020) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0कॉम0 में सत्र 2021–22 से लागू की जा चुकी है। यह देखने में आया है कि एन0ई0पी0 को लेकर छात्र/छात्राओं एवं महाविद्यालयों/संस्थानों में कतिपय भ्रान्तियां व्याप्त हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा एन0ई0पी0–2020 से सम्बन्धित समस्त नियम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in के N.E.P Portal पर अपलोड किये जा चुके हैं। N.E.P से सम्बन्धित ग्रेडिंग व्यवस्था, उत्तीर्ण प्रतिशत, कक्षोन्नति, बैक पेपर अथवा सुधार इत्यादि नियम पुनः इस अनुरोध के साथ विज्ञापित किये जा रहे हैं कि छात्र/छात्रायें एवं महाविद्यालय/संस्थान इनका भली–भांति अध्ययन कर व्याप्त भ्रान्तियों का निराकरण करने का कष्ट करें :–

तालिका–1 (Table-1)

लैटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. <u>उत्तीर्ण प्रतिशत</u>

2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

2.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) Qualifying हैं तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होगें।

2.4 कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा। जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। उल्लेखनीय है कि चारों कौशल विकास कोर्स में आन्तरिक परीक्षायें सम्पन्न नहीं करायी जायेंगी। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

Vocational/Skill Development विषयों की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा न करवाकर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा करवाया जायेगा। ऐसे छात्र जिनके Skill Development पाठ्यक्रम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, की उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।

2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिषत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.7 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

क्रमश.....02

2.8 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.9 किसी भी प्रकार के कृपांक **(Grace marks)** नहीं दिये जायेगें।

2.10 यदि छात्र/छात्रा प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में कुल मिलाकर न्यूनतम 23 तथा मुख्य विषयों में 18 क्रेडिट के पेपर उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे अगले वर्ष में प्रोन्नत किया जायेगा तथा उसके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम में Promoted अंकित किया जायेगा।

2.11 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा (वाह्य परीक्षा) में न्यूनतम निर्धारित 25 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो परीक्षा परिणाम में वाह्य परीक्षा के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

2.12 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की वाह्य परीक्षा एवं आन्तरिक परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षा के योग के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

2.13 (अ) यदि कोई छात्र/छात्रा प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में किसी एक पेपर में भी अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित/यू0एफ0एम0 है तो उसके परीक्षा परिणाम में Fail But Promoted एवं यदि सभी पेपर्स में उत्तीर्ण है तो Pass & Promoted अंकित किया जायेगा।

(ब) द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षोपरान्त विद्यार्थी अगले वर्ष में नियम 3.2 व 3.3 के अनुसार Promote किया जायेगा तथा तदनुसार उसकी ग्रेडशीट में Promoted अथवा Not Promoted अंकित किया जायेगा।

3. <u>कक्षान्नोति (Promotion)</u>

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

3.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तो के साथ दी जायेगी :–

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा (ब) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर) के Major विषयों (तीन मुख्य विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष में तथा दो मुख्य विषय तृतीय वर्ष में) के सभी पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) के कुल क्रेडिटस् का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

3.3 द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक (required) 46 क्रेडिटस् के सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying (सह–पाठ्यक्रम) पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

4. <u>बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा</u>

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किंतु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

4.5 कोई छात्र/छात्रा एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक स्किल डेवलपमेण्ट कोर्स (कौशल विकास पाठ्यक्रम) की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

4.6 कोई छात्र/छात्रा एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक को–करिकुलर कोर्स की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

4.7 सी0बी0सी0एस0 प्रणाली में पूर्ण सेमेस्टर के सभी पेपर्स में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी पूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा देगा। यदि विद्यार्थी ने कुछ पेपर उत्तीर्ण कर लिए हैं तो भविष्य के सेमेस्टर के साथ विद्यार्थी को उन्हीं पेपर्स की परीक्षा बैक पेपर के रूप में उत्तीर्ण करनी होगी जिन पेपर्स में वह पहले अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहा था।

क्रमश.....03

4.8 वर्तमान सेमेस्टर का विद्यार्थी पिछले किसी एक सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर्स की परीक्षा में बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा। उदाहरणार्थ–तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर कोड की बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा।

4.9 ऐसे छात्र/छात्रा जो प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होते है, को बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होकर प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनुमत होगा।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या:– (Explanation) यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

6. SGPA एवं CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी:–

jth सेमेस्टर के लिए SGPA (Sj) =∑(Ci x Gi) /∑Ci	यहाँ पर Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi= grade point scored by the student in the ith course in jth semester.
CGPA = ∑(Cj x Sj) /∑Cj	यहाँ पर Sj= SGPA of the jth semester. Cj= total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPA को प्रतिषत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा:

समतुल्य प्रतिषत =CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी:

तालिका–2 (Table-2)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

6.4 SGPA & CGPA की गणना छात्र/छात्रा द्वारा परीक्षा फार्म में भरे गये पेपर्स के कुल ग्रेड वैल्यू को कुल क्रेडिट से भाग देकर की जायेगी।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्यी/निदेशक से अनुरोध है कि वह अपने छात्र/छात्राओं को उक्त नियमों से अवगत कराने का कष्ट करें।

01/02/2023

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक महोदय के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों को इस आशय से कि छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से उक्त नियमों के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें।
6. प्रभारी, वेबसाईट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को वेबसाईट एव एन0ई0पी0 पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
7. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को उक्त विज्ञप्ति समस्त राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु।

सहा0 कुलसचिव (गोपनीय)